

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०संख्या-ल०सि०मो०/HKKP-2024-25/बांका-132/25-

422

पटना, दिनांक- 9/11/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका ।

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा हर खेत तक सिंचाई का पानी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटन निर्गत किया गया है ।

2. वर्तमान में कुल-528.571 लाख (पाँच करोड़ अठाईस लाख सतावन हजार एक सौ) रुपये मात्र का आवंटन दिया जाता है:-

(राशि लाख रुपये)

क्र०	योजना का नाम	वर्तमान आवंटित राशि		कुल आवंटित राशि
		50-4702001010106 (विषय शीर्ष-53.01)	50-4702007890106 (विषय शीर्ष-53.01)	
1	2	3	4	5
1	महेशपुर सिंधा एवं महेशपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	12.27324	2.33776	14.61100
2	धुरेया पईन एवं लौगाय से बेलवा पोखर पईन का जीर्णोद्धार कार्य (प्लॉट नं०-298, 268)	36.39300	6.93200	43.32500
3	मोहना बांध का जीर्णोद्धार कार्य	18.93864	3.60736	22.54600
4	पिपरा बांध (सचिन कुमार) का जीर्णोद्धार कार्य	17.46024	3.32576	20.78600
5	सरवारिया उत्तरी एवं गोरखापुरापुरवी बांध का जीर्णोद्धार कार्य	8.24208	1.56992	9.81200
6	धरवा बांध का जीर्णोद्धार कार्य	18.00876	3.43024	21.43900
7	बियाही काली मंदिर कजराडीह बांध का जीर्णोद्धार कार्य	47.71536	9.08864	56.80400
8	मुलूक बाराकोल सरकरिया रकत्रोहना बांध का जीर्णोद्धार कार्य	19.85172	3.78128	23.63300
9	बड़का जोर बाँध का जीर्णोद्धार कार्य	9.25428	1.76272	11.01700

8 & 10/11/26

10	हड़वड़िया बांध एवं भोलाजोर बांध का जीर्णोद्धार कार्य	8.40000	1.60000	10.00000
11	भुरकुंडिया आहर जीर्णोद्धार कार्य	7.51212	1.43088	8.94300
12	भलुआ पोखर का जीर्णोद्धार कार्य	9.00480	1.71520	10.72000
13	महेशवथना बांध का जीर्णोद्धार कार्य	34.30980	6.53520	40.84500
14	लक्ष्मी यादव बाँध का जीर्णोद्धार कार्य।	18.74376	3.57024	22.31400
15	जोगिकित्ता रिजवायर का जीर्णोद्धार कार्य।	27.14208	5.16992	32.31200
16	कदमातरी बांध का जीर्णोद्धार कार्य	32.95152	6.27648	39.22800
17	कुसुमजोरी आहर पर्ईन 32 का जीर्णोद्धार कार्य	27.18996	5.17904	32.36900
18	गजोरायडीह बाँध का जीर्णोद्धार कार्य (प्लॉट न0-02)	12.64620	2.40880	15.05500
19	मयूरनाचन बांध का जीर्णोद्धार कार्य	7.70280	1.46720	9.17000
20	चेतन बांध का जीर्णोद्धार कार्य, प्लॉट न0-95650	4.20000	0.80000	5.00000
21	मंझली कुशहा बांध का जीर्णोद्धार कार्य	3.36000	0.64000	4.00000
22	बासु बांध का जीर्णोद्धार कार्य	1.68000	0.32000	2.00000
23	महावीर बांध का जीर्णोद्धार कार्य, Plot No - 2301	14.09268	2.68432	16.77700
24	पद्म दास बांध का जीर्णोद्धार कार्य	8.40000	1.60000	10.00000
25	गिधा बांध का जीर्णोद्धार कार्य (प्लॉट न0-471, 472, 399, 400)	1.68000	0.32000	2.00000
26	हरजोरा बांध योजना (Plot No.- 289) का जीर्णोद्धार कार्य	12.60000	2.40000	15.00000

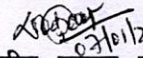
3 2

27	नीलमाहा कोटी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य, Plot No.- 30	10.80408	2.05792	12.86200
28	महोआ बांध योजना (Plot No.- 71) का जीर्णोद्धार कार्य	7.99092	1.52208	9.51300
29	रानीकित्ता बांध का जीर्णोद्धार कार्य (Plot No.- 7,55)	5.45160	1.03840	6.49000
योग:-		443.99964	84.57136	528.57100

- आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय ।
- संबंधित योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित कार्यपालक अभियंता की जिम्मेवारी होगी ।
- मापीपुस्त (MB) को PWD Code एवं PWD Account Code के तहत जाँच कर ही भुगतान संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
- खनन कर, GST के प्रावधान के अनुसार शुल्क (Tax) जमा कराना संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्ट के अनुरूप हुआ है ।
- योजनाओं के कार्य के डिफेक्ट को दूर कर ही भुगतान किया जाय ।
- प्रशासनिक स्वीकृति के बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि की सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाय ।
- संबंधित योजनाओं के स्थल सीमांकन का सत्यापन संबंधित अंचलाधिकारी से कराना कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।
- आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
- योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।
- आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे । साथ ही आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।
- व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

17. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय नियमानुकूल एवं निर्धारित सीमा के अन्दर हो ।
18. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेंगे । यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी ।
19. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
20. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना, संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।
21. राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका से की जायेगी ।
22. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
23. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है ।

विश्वासभाजन


(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 422

पटना, दिनांक- 9/1/26

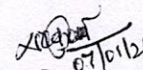
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0मैनेजर,आई0टी0 कोषांग को आवंटनदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

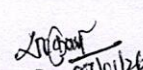
E-mail

ज्ञापांक- 422

पटना, दिनांक- 9/1/26

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित अंचलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव


सरकार के उप सचिव

